मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 मई 2010—वैशाख 24, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 4 से 10 जून 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश की अवधि में श्री अजीत केसरी, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

क्र. ई-5-328-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. परशुराम, आयएएस., विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 3 से 7 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2, 8 एवं 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आर. परशुराम की अवकाश की अवधि में श्री अजय तिर्की, आयएएस., सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. परशुराम द्वारा विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-496-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिल कुमार जैन, आयएएस., विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 24 से 29 अप्रैल 2010 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-460-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आलोक श्रीवास्तव, आयएएस., पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2010 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जून तथा 4 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आलोक श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री सेवाराम, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सेवाराम, पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., संचालक, ग्रामीण रोजगार को दिनांक 26 अप्रैल से 1 मई 2010 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 अप्रैल एवं 2 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएएस., आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक, बीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विनोद कुमार की अवकाश की अवधि में श्री एस. बी. सिंह, आयएएस., आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विनोद कुमार द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. बी. सिंह, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-780-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस., कलेक्टर जिला खण्डवा को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्री ए. के. पंचरत्न, अपर कलेक्टर, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. के. पंचरत्न, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1 से 10 मई 2010 तक. दस दिन के अर्जित अवकाश पर रहने के कारण उनकी अवकाश अवधि में श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री जी. पी. सिंघल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. सिंघल, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2010/1 मई 2010

क्र. ई-5-855-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक देसवाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को दिनांक 10 से

22 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक देसवाल की अवकाश की अवधि में श्री बी. एल. जड़िया, अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक देसवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक देसवाल द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. जड़िया, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक देसवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देसवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहैल अली, भाप्रसे., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग को दिनांक 17 से 29 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहैल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहैल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)94-2001-ब-2-दो.—(1) श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 2 मई से 1 जून 2010 तक, कुल तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एल.एल.अहिरवार, भापुसे, को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010) में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "गोवा" जाने की अनुमति दी जाती है :—

1.	श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे—		स्वयं
2.	श्रीमती शोभा अहिरवार	—	पत्नी

(3) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की

जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा-1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 2-14-2010-तेरह.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-141-2010-5-एक, दिनांक 20 अप्रैल 2010 के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, (भा.प्र.से.), अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमि., इन्दौर की सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग को वापस करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. पी. आहूजा (भा.प्र.से.), परियोजना समन्वयक, डीपीआईपी एवं कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमि., इन्दौर के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद पर आगामी आदेश तक, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कटारे, अपर सचिव.

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 541-एफ (4) 11-07-चार-अड़तालीस.—राज्य शासन, श्री राजेश गुप्ता, अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग को उपसचिव के पद पर वेतनमान 15600—39100+7600 ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

(2) अपर सचिव पद को दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक स्थगित रखते हुए उसके स्थान पर उपसचिव का पद निर्मित किया गया है. यह पद अस्थाई है, अतः इस पर आरक्षण एवं आरक्षण-रोस्टर लागू नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. सी. मोटवानी, उपसचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 4-33-06-बारह-1.—मेसर्स डी बियर्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा जिला सतना एवं पन्ना में हीरा एवं बहुमूल्य रत्न, सोना, तांबा, लेड, जिंग खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1247.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 663.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देक्षांश (3)
D	24° 55' 19.00''	81° 00' 00.00''
C	24° 45' 00.00''	80° 37' 53.00''
B	24° 45' 00.00''	80° 31' 30.00''
1	24° 53' 42.28''	80° 31' 29.60''
2	24° 52' 35.86''	80° 36' 35.67''
3	24° 56' 57.94''	80° 39' 29.77''
4	24° 58' 36.76''	80° 39' 29.26''
5	24° 58' 37.20''	80° 35' 24.43''
6	25° 00' 36.61''	80° 35' 24.43''
7	25° 00' 36.97''	80° 38' 35.37''
8	25° 01' 36.94''	80° 37' 16.14''
9	25° 02' 02.03''	80° 37' 16.14''
10	25° 02' 01.93''	80° 38' 27.16''
11	25° 02' 42.14''	80° 38' 27.74''
12	25° 02' 42.17''	80° 39' 45.28''
13	25° 01' 55.91''	80° 39' 45.57''
14	25° 01' 55.01''	80° 42' 15.37''
15	25° 00' 26.31''	80° 42' 15.48''
16	25° 00' 26.64''	80° 42' 59.86''
17	25° 02' 59.53''	80° 43' 00.12''
18	25° 02' 59.17''	80° 44' 46.71''
19	25° 02' 06.10''	80° 44' 46.50''
20	25° 00' 45.68''	80° 43' 23.87''

(1)	(2)	(3)
21	25° 00' 26.35''	80° 44' 41.31''
22	24° 58' 38.63''	80° 44' 41.38''
23	24° 58' 37.91''	80° 39' 57.74''
24	24° 57' 04.60''	80° 39' 57.99''
25	24° 54' 12.02''	80° 46' 29.71''
26	24° 54' 41.83''	80° 48' 51.26''
27	24° 56' 07.72''	80° 48' 43.63''
28	24° 55' 11.89''	80° 46' 34.39''
29	24° 58' 43.13''	80° 46' 35.03''
30	24° 58' 13.65''	80° 47' 23.92''
31	24° 58' 26.94''	80° 47' 23.92''
32	24° 58' 55.70''	80° 46' 35.21''
33	24° 59' 32.38''	80° 46' 35.21''
34	24° 59' 32.38''	80° 47' 57.58''
35	24° 58' 00.73''	80° 47' 57.44''

35 से D राज्य सीमा

इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, ''खनिज भवन'' 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 4-33-06-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 29 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 29th April 2010

No. 4-33-06-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 663.50 Km^2 out of 1247.50 Km^2 in Satna and Panna districts which was previously held by M/s. De Beers India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious stones, Gold, Copper, Lead & Zinc, minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts	Latitude	Longitude
(1)	(2)	(3)
D	24° 55' 19.00''	81° 00' 00.00''
C	24° 45' 00.00''	80° 37' 53.00''
B	24° 45' 00.00''	80° 31' 30.00''
1	24° 53' 42.28''	80° 31' 29.60''
2	24° 52' 35.86''	80° 36' 35.67''
3	24° 56' 57.94''	80° 39' 29.77''
4	24° 58' 36.76''	80° 39' 29.26''
5	24° 58' 37.20''	80° 35' 24.43''
6	25° 00' 36.61''	80° 35' 24.43''
7	25° 00' 36.97''	80° 38' 35.37''
8	25° 01' 36.94''	80° 37' 16.14''
9	25° 02' 02.03''	80° 37' 16.14''
10	25° 02' 01.93''	80° 38' 27.16''
11	25° 02' 42.14''	80° 38' 27.74''
12	25° 02' 42.17''	80° 39' 45.28''
13	25° 01' 55.91''	80° 39' 45.57''
14	25° 01' 55.01''	80° 42' 15.37''
15	25° 00' 26.31''	80° 42' 15.48''
16	25° 00' 26.64''	80° 42' 59.86''
17	25° 02' 59.53''	80° 43' 00.12''
18	25° 02' 59.17''	80° 44' 46.71''
19	25° 02' 06.10''	80° 44' 46.50''
20	25° 00' 45.68''	80° 43' 23.87''
21	25° 00' 26.35''	80° 44' 41.31''
22	24° 58' 38.63''	80° 44' 41.38''
23	24° 58' 37.91''	80° 39' 57.74''
24	24° 57' 04.60''	80° 39' 57.99''
25	24° 54' 12.02''	80° 46' 29.71''
26	24° 54' 41.83''	80° 48' 51.26''
27	24° 56' 07.72''	80° 48' 43.63''
28	24° 55' 11.89''	80° 46' 34.39''
29	24° 58' 43.13''	80° 46' 35.03''
30	24° 58' 13.65''	80° 47' 23.92''
31	24° 58' 26.94''	80° 47' 23.92''
32	24° 58' 55.70''	80° 46' 35.21''
33	24° 59' 32.38''	80° 46' 35.21''
34	24° 59' 32.38''	80° 47' 57.58''
35	24° 58' 00.73''	80° 47' 57.44''

35 to D State Boundary

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

मछली पालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 22-35-2009-छत्तीस.—राज्य शासन द्वारा संचालक मत्स्योद्योग का चालू कार्यभार तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेशों तक, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ को सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मई 2010

फा. क्र. 1(बी)-7-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रमाकान्त तिवारी पुत्र स्व. श्री रामशिरोमणि तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीधी नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(सी)-13-इक्कीस-ब(दो)10.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल द्वारा अभियोजित प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये श्री रूप कुमार सक्सेना, जिला अभियोजन अधिकारी, भोपाल को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

वे उनकी उक्त स्थापना पर पदस्थापना की अवधि तक विशेष लोक अभियोजक रहेंगे.

उक्त अधिकारी को प्रकरणों का बटवारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जावेगा.

फा. क्र. 1(बी)-21-2010-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक जैन पुत्र श्री कनकमल जैन को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, खाचरौद नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-22-2010-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मनोज सक्सेना पुत्र स्व. श्री भगवत दयालजी सक्सेना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजगढ़ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2010

फा. क्र. 521-2010-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा श्री जगदीश नारायण सक्सैना, अधिवक्ता, 110, गोपाल कालोनी, जिला झाबुआ को जिला मुख्यालय, झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 2 अगस्त 2005 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, झाबुआ, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 1232-2009-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा श्री जगदीश प्रसाद पाठक, अधिवक्ता, 106, महात्मा गांधी मार्ग, तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ को तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 22 जनवरी 2007 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 14 नवम्बर 2008 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2010

फा. क्र. 1(ई)-04-20-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मार्च 2010 के अनुक्रमांक 4 में श्री वीरेन्द्र वर्मा टंकित हो गया है अतः उसके स्थान पर शब्द श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2010

क्र. एफ-3-5-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-5-2009-बत्तीस, दिनांक 29 दिसम्बर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित उज्जैन विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा उज्जैन	3629/2, 3629/3, 3630/1, 3631/1	0.856 हेक्टेयर	उद्यान	आवासीय— शर्त-कब्रिस्तान से लगी भूमि पर 6 मीटर की बफर जोन छोड़कर.
		योग . .	0.856 हेक्टेयर		

(2) उपरोक्त उपरांतरण उज्जैन विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. स्व.-पी.एच.-2010-204.—बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाएं.

अस्तु, मैं, विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ विनियम 1979 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं कि:—

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिए खाद्य पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर :—

(क) बासी मिठाईयां तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े गले फलों व सब्जियों, मॉस-मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी.

(ख) बासी मिठाईयां एवं नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मॉस, मछली, अण्डें, कुल्फी, आईसक्रीम, आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कॉच के बंद शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखें जावेंगे

ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 (1-क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाए गए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिए जिसे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके. जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 (5) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गए खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी, धारा 16 के तहत दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं:—

(1) समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बैतूल.
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
(5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
(6) जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली-नालियों गटरों, पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्र. 3225-वरिष्ठ लिपिक-2010.—रायसेन जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावें.

अतः, मैं, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन आपत्ति, हैजा, विनियम 1979 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण रायसेन जिले को अधिसूचित घोषित करती हूं तथा आदेश देती हूं कि :—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य ओर पेय पदार्थों के निर्माण

करने या उसके प्रदान के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

1. बासी मिठाईयों या खराब वस्तुओं या सड़े-गले फलों, सब्जियों, मॉस-मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी.

2. ताजी मिठाईयां, नमकीन, फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय, काफी, शरबत, मांस, मछली, अण्डे,आईसक्रीम, कुल्फी इत्यादि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे. उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण ''क'' (1) एंवं (2) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन को न तो लायेगा, न ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके, में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती हूं:—

(1) जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

(2) जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषाधालय.

(3) ऐसी आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.

(4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, रायसेन/बेगमगंज/मण्डीदीप.

(5) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सांची/गैरतगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बरेली/बाड़ी/सुल्तानपुर/औबेदुल्लागंज.

(6) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सांची/गैरतगंज/बेगमगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बाड़ी/औबेदुल्लागंज.

(7) स्वस्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक, सांची/गैरतगंज/बेगमगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बरेली/बाड़ी/औबेदुल्लागंज.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा.

सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

(विन्ध्याचल भवन)

भोपाल दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. सह.अधि.-2010-स्था-136.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 24 मई 2010 से 18 जून 2010 तक, में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

(2) तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 24 मई 2010 से 7 जून 2010 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

(3) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. जन स्वा.-2010-3155.—टीकमगढ़ जिले में ग्रीष्म/वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की शुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वार, मीजल्स की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जावें.

अस्तु, मैं, श्री अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ विनियम 1983 के नियम-3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला टीकमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालय, होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने का उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

1. बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े गले फल, सब्जियों, दूध, दही उबली हुई चाय, काफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.

2. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियां, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शर्बत, अण्डे, मॉस, मछली, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कॉच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-दो में उल्लेखिंत वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य विवरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुओं जो कि मानव उपयोग के लिए अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त हैं जो उन अस्वास्थ्य कारक दूषित अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सकें, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं जो पृथक्-पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामुहिक रूप से कार्यवाही करेंगे.

(1) जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

(2) जिले के ऐसे चिकित्सा अधिकारी पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर से न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषधालय.

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

(4) ऐसा आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हों.

(5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी व स्वास्थ्य निरीक्षक.

(6) खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, टीकमगढ़

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाले, नालियों, गटरों, अथवा पानी के गंदे गड्डों, पोखरों, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तर, कूड़ा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

(घ) यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा.

अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र.-मा.चि.-2010-151.—मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुये उपवनमण्डल ब्यौहारी के वन परिक्षेत्र गोदावल के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुनर्गठन किया जाता है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा :—

वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय						पुनर्गठित बीट का नाम एवं मुख्यालय						
उप वन मण्डल का नाम (1)	वन परिक्षेत्र का नाम (2)	सर्किल का नाम (3)	बीट का नाम एवं मुख्यालय (4)	कक्ष क्र. (5)	रकबा है. (6)	उप वन मण्डल का नाम (7)	वन परिक्षेत्र का नाम (8)	सर्किल का नाम (9)	बीट का नाम एवं मुख्यालय (10)	कक्ष क्र. (11)	रकबा है. (12)	विवरण (13)
ब्यौहारी	गोदावल	टिहकी	उफरी (उफरी)	RF-215	258.00	ब्यौहारी	गोदावल	टिहकी	उफरी (उफरी)	RF-217	313.40	
				RF-217	313.40					RF-218	300.80	
				RF-218	300.80					RF-220	221.60	
				RF-220	221.60					RF-221	348.20	
				RF-221	348.20					P-219	24.80	
				P-219	24.80					P-222	46.40	
				P-222	46.40					P-249	465.20	
				P-249	465.20							
				योग . .	1978.40					योग . .	1720.40	
ब्यौहारी	गोदावल	टिहकी	केठिया (कोठिया)	RF-210	72.20	ब्यौहारी	गोदावल	टिहकी	केठिया (कोठिया)	RF-210	72.20	
				RF-211	167.40					RF-211	167.40	
				RF-216	197.80					RF-215	258.00	
				P-208	53.00					RF-216	197.80	
				P-209	56.60					P-208	53.00	
										P-209	56.60	
				योग . .	547.00					योग . .	805.00	

ए. एस. तिवारी, वनमण्डलाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 मार्च 2010

प्र. क्र. 13-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	जमुनया	0.998	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर.	कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 15-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	खजवा	7.071	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर.	कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 226-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	डहर्रा	23.577	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.	कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम डहर्रा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम-डहर्रा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 227-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	किशुनपुरा	33.340	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.	कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम किशुनपुरा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम-किशुनपुरा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 18-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बकस्वाहा	गुगवारा	1.304	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बकस्वाहा	जमुनिया	3.309	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बकस्वाहा	महुटा	17.719	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	वकस्वाहा	सेड़ारा	18.864	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	वकस्वाहा	डुगासरा	1.304	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	कुसमाड़ तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—कुसमाड़ तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	वकस्वाहा	कर्री	3.616	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	पाली तालाब योजना की नहर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पाली तालाब योजना की नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 1300-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	बड़ावदी	0.205	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा, धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1288-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	नयापुरा	1.102	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा, धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1286-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	बड़ोदिया	1.038	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1290-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	राजाखेड़ी	0.458	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1292-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	उकेड़िया	0.577	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1294-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	भूतेड़ा	2.41	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1296-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 09-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	सेजावता	11.895	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1298-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	बामनखेड़ी	4.294	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1284-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	कस्बा जावरा	14.939	संभागीय प्रबंधक, म. प्र., सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन- उन्हेल- नागदा, धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 18-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	गोलना	5.184	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	5.184		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 19-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	लखार	17.098	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	17.098		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 20-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	ऐंचदा	18.005	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	18.005		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 21-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	जीरापुरा	3.812	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	3.812		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 22-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	हिनोतिया माली	126.83	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगढ़ सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
		योग . .	126.83		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 24-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	सतपाड़ा	26.279	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	26.279		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 25-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	जामनपुर	11.108	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	11.108		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 26-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	रजोदा	12.899	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	12.899		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 27-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	पैरवासा	12.121	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	12.121		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 30-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	डंगरबाड़ा	3.163	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
		योग . .	3.163		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 32-A-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	बेरखेड़ी किरार	0.852	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
		योग . .	0.852		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र.क्र. 02-अ-82-09-10-भू.अ.अ..—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, उसे अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
कटनी	बड़वारा	ग्राम-मगरेहटा	अशासकीय	5.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कटनी.	मगरेहटा जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 11/63	शासकीय	0.60		
			योग . .	6.02		
		ग्राम-परईकापं	अशासकीय	2.28		
		प.ह.नं. 11/63	कुल योग . .	8.30		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 4589-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये विभाग प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विभाग प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	बकही	1.738	कार्यालय यंत्री लोक निर्माण विभाग, अनूपपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 कि.मी. 169 एवं 170 में सोन नदी बटुरा घाट पर निर्मित पुल के एप्रोच रोड हेतु.
			1.738		

निजी भूमि स्वामियों की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण

ग्राम बकही, 629 पटवारी हल्का बकही नं. 1, रा.नि.मं. अनूपपुर

क्र.	नाम भूमि स्वामी	खसरा नम्बर	कुल रकबा	मार्ग निर्माण के लिये अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिरमन्ती पिता रामकुमार गौंड़, निवासी बकही	1544	0.210	0.049
2	मोलिया बेवा दन्नी टीकम पिता दन्नी गौड़, निवासी बकही	1540	0.502	0.186
3	मोलिया बेवा दन्नी टीकम पिता दन्नी गौड़, निवासी बकही	1538	0.142	0.097
4	छुलासी शेखिया विश्राम रतना रंगू पिता लटी, निवासी बकही	1537	0.550	0.266
5	लालू पिता छोटा महरा	1532	0.219	0.038
6	ददनराम रैमुन तारा पिता तनगू केमली बाई बेवा तनगू महरा, सा. बकही	1531	0.121	0.068
7	रामू भोला पिता मिरचू गोड, सा. बकही	1523	0.182	0.128
8	म. प्र.शासन (भू.जंगल)	1566	1.420	0.089
9	केमली बेवा तनगू ददनराम पिता तनगू महरा	1567/1	0.115	0.068
10	रामकिशोर पिता देवी दीन महरा	1567/2	0.222	0.069
11	रामू भोला पिता मिरचू गोंड, सा. देह	1512	0.275	0.079
12	शोभनाथ पिता धनपत गोंड़	1511/1	0.129	0.038
13	ललिया पत्नी गोविन्द गोंड़	1511/2	0.130	0.038
14	जितेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह क्षत्री, सा. बकही	1492	0.368	0.179
15	केशवप्रताप सिंह पिता देवेन्द्र सिंह	1481	0.429	0.038
16	जितेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह	1568	1.003	0.397
17	म. प्र. शासन (सड़क)	1574	3.767	0.389

भूमि स्वामी स्वत्व	1.738 हे.
मध्यप्रदेश शासन	0.478 हे.
कुल योग . .	2.216 हे.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 4485-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	कंजरोटा	0.665	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	हनुमानखेड़ा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.
		योग. .	0.665		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 4 मई 2010

क्र. 5208-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	कंजरोटा	1.345	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	हनुमानखेड़ा तालाब योजना के वेस्टवियर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
		योग. .	1.345		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग सरदारपुर, तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5213-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	फुलगांवड़ी	1.405	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	गोविन्दपुरा तालाब योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
		योग. .	1.405		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5218-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	लेडगांव	1.936	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
		योग. .	1.936		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5223-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों

को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	रिंगनोद	0.150	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	हनुमानखेड़ा तालाब योजना के सिपेजड्रेन निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
		योग. .	0.150		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 5 मई 2010

क्र. 5272-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	हनुमंत्याकाग	1.256	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
		योग . .	1.256		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5277-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	चोटियाबालोद	0.808	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	पाना तालाब निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
		योग. .	0.808		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5290-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	गोंदीखेड़ा (अमझेरा)	2.805	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
		योग.	2.805		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 5407-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बालाघाट	लामता प.ह.नं. 07	1. निजी भूमि 0.596 हेक्ट. 2. शासकीय भूमि 0.140 हेक्ट. 3. 20 मकान 4. 01 पानी की टंकी 5. 05 दुकान 6. 01 स्कूल 7. 01 ग्राम पंचा. भवन	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर, (महाराष्ट्र).	बालाघाट से जबलपुर छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्र. 3367-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-जूनापानी ब.नं.-54 प.ह.नं.-05 रा.नि.मं.-दमुआ.	04.972 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	बिलावर कला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान)का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2010

रा.मा.क्र.-12अ-82 वर्ष 09-10 पत्र क्र. 153-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	खैरी प.ह. नं. 51 नं.बं 107	7.874	अति अधीक्षण अभियंता (सिविल) पारे संभाग म. प्र. पा.ट्रा.कं.लि., जबलपुर.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्रकरण क्रमांक 4 अ-82--09-10-क्रमांक-क-वाचक-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला/ तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर/ खकनार	रंगई	338/2	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, बुरहानपुर.	खडकी तालाब योजना ग्राम रंगई शेखापुर के नहर योजना.
		338/1	0.43		
		336/1	0.09		
		336/2	0.19		
		315/2	0.10		
		315/3	0.08		
		315/1	0.05		
		316/2	0.08		
		316/3	0.14		
		316/1	0.08		
		326/2	0.34		
		326/1	0.31		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		471	0.35		
		473/3	0.20		
		473/4	0.20		
		473/5	0.05		
		331/1	0.25		
		331/2	0.27		
		योग . .	3.29		
	शेखापुर	168/1	0.10		
		168/2	0.10		
		169/2	0.27		
		167/1	0.06		
		167/2	0.15		
		167/3	0.03		
		149/2	0.17		
		149/1	0.32		
		145	0.10		
		144/1	0.09		
		143	0.09		
		142	0.09		
		141	0.36		
		131/1	0.30		
		173/3	0.55		
		180/4	0.27		
		180/3	0.07		
		180/2	0.15		
		180/1	0.10		
		181/3	0.19		
		181/2	0.19		
		181/1	0.10		
		89	0.85		
		90/3	0.15		
		90/2	0.17		
		95/2	0.12		
		95/1	0.30		
		22/1	0.30		
		22/2	0.03		
		19	0.10		
		योग. .	5.87		
		महायोग. .	9.16		

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. क-प्र.भू-अर्जन-3886-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	मोर्या	63	3.601	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर.	निरंदपुर जलाशय योजना का नहर कार्य.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—1. निरंदपुर जलाशय योजना नहर कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-क-प्र.भू-अर्जन-3894-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	किशनपुर	7	0.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र 1, सागर.	निरंदपुर जलाशय योजना का नहर कार्य.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—1. निरंदपुर जलाशय योजना नहर कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 मई 2010

क्र. 3597-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	अताईखेड़ा	3.971	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	अताईखेड़ा तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष रही भूमि का अर्जन.
		कुल योग	3.971		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 मई 2010

क्र. 372-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पताई	0.290	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, मध्यप्रदेश.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 374-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	खौर 145	0.130	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, मध्यप्रदेश.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की सिलपरी वितरक नहर एवं उसकी खौर माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 3 मई 2010

क्र. 13-अ-82-2009-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध तथा धारा 17(4) इस प्रकरण में लागू किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	दुबाहा	16.767	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 4490-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—सरदारपुर

(ग) ग्राम—दन्तोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.984 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (2)
107/3	0.400
108	0.334
110	0.170
111	0.080
योग . .	0.984

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—दौलतपुरा तालाब निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

धार, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 643-वाचक-प्र.क्र. 59-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—गांगली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.440 हेक्टेयर.

सर्वे नं. निजी (1)		अर्जित रकबा (2)
278/2		0.178
279/1		0.060
278/3		0.090
278/4		0.230
270/9/2		0.190
68/3		0.265
270/6		0.160
269		0.300
268		0.030
267/1		0.335
267/2		0.335
266		0.317
252		0.195
68/2		0.145
74		0.048
69		0.080
70		0.550
71		0.045
72		0.015
75		0.180
56/1क, 56/2क		0.190
56/1ख, 56/2ख		0.090
56/1ग, 56/2ग		0.090
111		1.152
112		0.290
114/1/1		0.345
114/2		0.317
113/1	3	0.030
114/1		

(1)	(2)
53/2	0.080
52/2	0.265
53/1	0.120
52/1	0.160
54/1	0.030
8	0.240
9/2	0.315
10	0.048
15/1, 15/2, 1/1	0.195
15/1, 15/2, 1/2	0.105
15/1, 15/2, 2	0.240
24/1	0.520
25	0.240
26	0.290
348/2/3	0.025
435/1	0.670
433	0.585
432	0.460
119/1	0.335
24/2क	0.240
55	0.025
योग . .	11.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 145000 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी डायरेक्ट मायनर 72 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 5 मई 2010

क्र. 5295-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—पिपल्याखास

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.410 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)
79/5	0.010
85	0.170
86	0.005
87	0.160
89	0.670
90	0.408
107/2	0.090
109/2	1.205
109/3	0.040
111	0.090
113	0.249
114	0.076
116	0.004
129	0.040
130	0.063
241	0.030
242	0.030
243/1	0.071
243/2	0.030
244	0.212
245/1	0.015
247	0.428
250	0.132
251	0.040
252	0.002
253	0.005
254	0.428
256	0.142
257	0.142
258	0.137

(1)	(2)
259	0.020
261	0.046
262	0.063
263	0.054
264	0.065
265	0.020
266	0.003
308	0.015
योग . .	5.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

क्र. 5300-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—बिल्लौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.520 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)
15/1, 15/2/1/1	0.125
15/1, 15/2/1/2	0.115
15/2/2क	0.065
16	0.235
17/2	0.009
17/3	0.015
19	0.150
20	0.080
28/2	0.305
31	1.528
67	0.075
69	0.295
74/2	0.130
109	0.004
110	0.135
111	0.110
112	0.015
113	0.115
114	0.020
115	0.150
116	0.025
120	0.047
121	0.015
145	0.020
146	0.082
147	0.235
148	0.160
149	0.175
151	0.025
153	0.070
154	0.095
155	0.100
156	0.003
163/2	0.225
343/3	0.050
350	0.235
351/3	0.080
351/4	0.255
353	0.515
355/1	0.001
355/2	0.025
357	1.085
358/3	0.112
359	0.760
360	0.055
361/1	0.574
361/2	0.065
362/1	0.095

(1)	(2)
569/2	0.075
689/1	0.045
689/4	0.090
690	0.450
योग . .	9.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

क्र. 5305- भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—करोंदिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.088 हेक्टर.

खसरे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)
103/1/1	0.140
103/2	0.349
103/5	0.030
105/3	0.025
105/4	0.140
106	0.040
107	0.045
108/1	0.060
108/2	0.120
108/3	0.160
140	0.055
141	0.269
142/1	0.020
142/2	0.070
143/3/1	0.140
143/3/2	0.229
143/4	0.245
145	0.150
165	0.095
166/1	0.145
166/2/2	0.126
167	0.360
168/1	0.340
169/2	0.050
169/3	0.070
169/4	0.255
170/1, 170/2	0.265
171	0.060
173	0.256
175	0.025
204/1/1	0.260
204/2/1	0.190
204/2/1/1	0.140
204/2/2/2	0.065
204/2/3	0.180
206/1	0.184
206/2	0.538
207	0.010
208	0.050
210/1	0.115
210/2	0.020
211	0.002
योग . .	6.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

क्र. 5310-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—नजीक बरोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.024 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)
8/4	0.162
9/2	0.235
9/3	0.409
9/4	0.249
20/1/4	0.379
21	0.003
22	0.535
31/1/2स	0.090
31/1/3क	0.070
31/2/1	0.055
32	0.230
33	0.876
34/1/3	0.319
34/2	0.209
34/3	0.022
80	0.010
81	0.428
83/1क	1.570
130/2	0.152
131/2	0.244
132/1/2	0.986
132/2	0.045
132/3	0.349
133/1	0.448
135/1	0.015
135/2/1	0.324
136	0.369
219/3	0.027
221/1	0.214
योग . .	9.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

क्र. 5315-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—दिग्ठान

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.506 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)
12/1	0.085
13	0.060
35	0.050
43	0.008
45	0.040
46	0.025
47	0.145
56/1	0.085
56/2	0.035
59/1	0.125
65	0.005
66	0.060
106	0.045
107	0.055
111	0.105
114/1	0.040
159	0.025
160, 208	0.280

(1)	(2)
161, 209	0.039
162	0.040
163	0.020
166	0.021
167	0.085
168	0.015
169/1, 203/1, 202/1, 204/1	0.060
169/2, 203/2, 202/2, 204/2	0.060
170	0.040
171	0.020
180/1	0.040
181/1	0.010
182	0.010
183	0.045
184	0.030
186	0.005
187	0.042
188	0.020
191/2	0.020
192	0.021
193	0.095
195	0.016
196	0.052
198	0.010
205	0.005
206	0.030
207	0.025
210/2	0.006
218	0.025
219	0.125
220	0.015
221	0.010
222	0.055
223	0.031
224	0.020
403	0.005
404	0.214
405	0.025
406	0.195
427	0.085
428	0.022
429	0.075
430	0.265
432	0.030
433	0.002
446/1	0.080
446/2	0.115
447	0.021
448	0.042
449	0.155
450	0.110
451	0.020
452	0.015
453	0.005
455	0.005
458	0.040
618	0.025
636	0.004
670/1	0.109
670/2	0.011
672	0.115
674	0.180
680/1	0.010
680/2	0.090
योग . .	4.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड़, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5320-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—रायण

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.419 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)
118/1	0.020
119	0.012
120/1	0.176
120/2	0.215
125	0.090
126/1	0.199
128	0.342
130/2/1/1	0.120
130/2/1/2	0.102
130/2/2	0.163
132/2	0.242
136	0.118
137	0.209
138/3/2	0.255
149	0.092
151/1	0.137
152	0.172
163/1	0.025
163/2	0.120
166	0.110
168	0.145
169/1	0.115
169/2	0.165
170	0.075
योग . .	3.419

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

क्र. 5325-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—नाईबरोदा कानूनगो

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.571 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)
89	0.135
91	0.030
93	0.038
94	0.025
96	0.856
98/1	0.150
100	0.285
112/2	0.244
113	0.105
207/1	0.438
207/2	0.926
209	0.110
210	0.522
211/1	0.159
211/2	0.214
239	1.050
242/1	0.070
242/2	0.214
योग . .	5.571

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5330-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—नाईबरोदा मण्डलोई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.824 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)	(2)
1	0.165
3/2	0.742
4	0.282
5	0.506
17/1/2	0.024
17/1/3	0.160
18	0.209
20/1	0.270
21	0.060
22	0.359
28	0.986
33	0.005
35	0.040
36	0.005
37	0.355
38/3	0.303
52	0.255
54/1	0.098
योग . .	4.824

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड एन्नासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 01अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-2843.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—सोमगढ़, पटवारी हल्का नं.—82

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.939 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
27	0.212
28	0.505
37/5	0.222
कुल योग . .	0.939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसक लिये भूमि की आवश्यकता है.—वर्धा सेतू पट्टन चिल्हाटी मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग, भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण उप संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनन्द कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 28 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 2अ-82-2009-10-क्र. 496-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मन्दसौर
(ख) तहसील—सुवासरा
(ग) ग्राम—रूनीजा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.46 हेक्टेयर.

सर्वे नं. (निजी)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2607	0.06
2615	0.01
2617	0.05
2514	0.05
2568	0.05
2563	0.09
2543	0.04
2541	0.05
2540	0.04
2428	0.16
2418	0.02
2385	0.05
2386	0.04
2329	0.03
3045	0.04
3046	0.13
3212	0.08
3205	0.01
3200	0.13
3203	0.01
2361	0.04
3199	0.05
3191	0.15
3190	0.06
3189	0.08
3188	0.15
3141	0.11
3063	0.11
3073	0.17
3081	0.20
3080	0.20
योग . .	2.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रूनीजा-अंगारी मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड कार्यालय सीतामऊ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. 359-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—अतरहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.42 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी खाता	
237 में से	0.022
166 में से	0.036
165 में से	0.058
164 में से	0.024
161 में से	0.106
162 में से	0.014
18 में से	0.136
155 में से	0.115
154 में से	0.115
152 में से	0.065
151 में से	0.065
19 में से	0.125
20 में से	0.125
21 में से	0.014
23 में से	0.079
24 में से	0.019
16 में से	0.163
33 में से	0.097
37 में से	0.063
32 में से	0.010
31 में से	0.015
30 में से	0.015
46 में से	0.061
51 में से	0.350
53 में से	0.095
54 में से	0.010
61 में से	0.130
58 में से	0.067
59 में से	0.046
78 में से	0.110
निजी खाता योग . .	2.35
म. प्र. शासन की भूमियां	
47 में से	0.048
50 में से	0.022
योग शासकीय . .	0.070
निजी खाता एवं म. प्र. शासन महायोग . .	2.42

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर की डड़िया माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 2अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—भगौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —3.740 हेक्टेयर.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
25/1/1	0.650
25/1/2	0.320
25/3	0.250
25/14	0.650
29/2/1	0.060
29/4	0.220
63	0.117
64	0.140
65	0.260
67	0.008
78	0.050
79	0.030
80	0.045
82	0.240
83	0.150
84	0.200
623/3	0.150
626/1	0.100
626/2	0.100
योग . .	3.740

(2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत भगौरा माईनर द्वितीय हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—भगौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —7.182 हेक्टेयर.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
101/1/2/4	0.150
101/1/2/6	0.070
101/2	0.210
101/6/1	0.330
104	0.100
105	0.055
107	0.085
108	0.535
112	0.030
113/10	0.470
113/12	0.350
113/15	0.155
125	0.220
126	0.050
127/1	0.110
127/2	0.110
143	0.560
145	0.020
146	0.185
150	0.155
151	0.070
152	0.170
189	0.007
191	0.180
192	0.025
193	0.090
208	0.095
209	0.470
217	0.035
232	0.025
233	0.205
235	0.135
237	0.045
238	0.075
239	0.130
240/1	0.030
240/2	0.030
249	0.065
250	0.125
251/1	0.020

(1)	(2)
251/2	0.020
252/1	0.108
252/2	0.107
255	0.195
256	0.175
257	0.175
502/1	0.030
503	0.005
512	0.205
513	0.090
514	0.020
1311/125	0.075
योग . .	7.182

(2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत भगौरा माईनर प्रथम एवं छपरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—बेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —2.758 हेक्टेयर.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6/1	0.045
9/1/2	0.120
9/2	0.010
9/3	0.145
9/4	0.150
9/10	0.160
12	0.020
13/1	0.055
13/2	0.155
14/1	0.010
20/1	0.070
20/2	0.070
21/1	0.085
21/2	0.085
22	0.090
23	0.160
24/1/4	0.110
24/1	0.070
62/3	0.110
63	0.125
65	0.020
66/1/1	0.160
66/1/2	0.045
66/2/1	0.045
68	0.220
76	0.055
77/1	0.123
77/2	0.095
276	0.005
286	0.065
287/1	0.050
287/2	0.030
योग . .	2.758

(2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत बेरी माइनर एवं वकतौरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 10अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लौडी
(ग) ग्राम—क़ितपुरा पटवारी हल्का नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —2.152 हेक्टेयर.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10	0.118
11	0.072
13	0.118
16	0.032
17	0.064
24	0.098
26	0.053
27	0.045
28/1	0.045
49/1/1	0.032
191/1	0.015
197	0.120
198	0.100
200/1	0.300
202	0.052
203/2	0.140
204/1/1	0.350
204/2/1	0.050
204/2/2	0.020
205	0.024
226	0.070
228/2	0.032
229/1	0.101
230	0.101
योग . .	2.152

(2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली कितपुरा माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—रानीपुर पटवारी हल्का नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —4.141 हेक्टेयर.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
141	0.069
143	0.218
160/3	0.158
154	0.114
155/1	0.010
155/2	0.116
158	0.085
159	0.125
165/2/2	0.126
166/1/1	0.067
166/1/2	0.067
166/2	0.135
167/2	0.203
514	0.057
515	0.057
516	0.270
518/1	0.046
525/1	0.136
526	0.044

(1)	(2)
527	0.158
531	0.038
532	0.110
536	0.036
537	0.139
541/1	0.107
541/2	0.029
559	0.032
560	0.165
565/1	0.035
671	0.047
672	0.237
673	0.044
681/2/2	0.050
684/1/1	0.038
689/1	0.065
690/1/1	0.023
690/1/2	0.023
738/1	0.028
738/2	0.085
738/3	0.028
738/4	0.028
739/1	0.015
739/4	0.015
767/1	0.104
767/2	0.105
778/1/1	0.065
778/1/2	0.065
778/1/3	0.064
778/2	0.060
योग . .	4.141

(2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली रानीपुर प्रथम एवं रानीपुर द्वितीय माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चंदला

(ग) ग्राम—डड़िया पटवारी हल्का नं. 49

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —3.232 हेक्टेयर.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21/1	0.027
21/2	0.027
21/3	0.027
21/4	0.026
35	0.120
36	0.152
38	0.088
43	0.064
44/1	0.069
44/2	0.069
44/3	0.069
45	0.058
46	0.046
48	0.045
62/1	0.051
62/2	0.050
71	0.081
72	0.072
75	0.035
77	0.072
78	0.062
81	0.024
83/1	0.024
84	0.082
76/3	0.059
85	0.051
106	0.022
141	0.023
142	0.081
143	0.032
144	0.129
145/1	0.009
145/3/1	0.020
145/3/2	0.080
145/4	0.100
195	0.071

(1)	(2)
196	0.063
197	0.050
199	0.044
200/1/6	0.042
201	0.064
202	0.068
203	0.058
206	0.273
212	0.080
347	0.062
348	0.046
350/1	0.200
350/2	0.065
योग . .	3.232

(2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली डडिया माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—मुकुन्दपुर पटवारी हल्का नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —4.491 हेक्टेयर.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
48	0.072
78/1	0.026
78/2	0.026
79	0.036
80/1	0.004
82/1	0.050
82/2	0.050
82/3	0.050
82/4	0.050
83/1	0.030
83/2	0.050
86/1	0.004
86/2	0.032
87	0.120
91	0.081
92	0.064
93	0.144
94/1/1	0.082
94/2/1/1	0.060
94/2/1/2	0.066
95/1	0.048
102	0.152
103/1	0.030
103/2	0.030
109/1	0.050
109/3	0.051
110	0.036
112	0.265
121	0.195
122/1	0.056
122/2	0.056
131	0.120
134	0.012
137	0.224
139/1	0.084
139/2	0.020
141	0.120
149	0.081
150	0.101
153/1	0.081
153/2	0.081
161	0.048
162	0.184
165/1	0.170
165/2	0.030
166/1	0.004
167	0.072
183/2/1	0.072

(1)	(2)
184/1/1	0.028
215/1	0.020
215/2	0.020
216/1/3	0.020
225	0.240
226	0.105
233/2	0.036
234/1	0.036
240/1/1/1	0.136
241/1	0.040
250	0.040
251	0.040
252	0.160
योग . .	4.491

(2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली मुकुन्दपुर, सराई माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

प्रक. क्र. 2अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—रहली

(ग) ग्राम—हरदोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.76 हेक्टेयर.

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
48/1	0.11
40/4	0.10
48/5	0.05
51/1	0.02
52	0.08
53	0.05
55/1	0.04
55/2	0.02
58/1, 2	0.15
118/1	0.04
118/2	0.02
118/3	0.02
118/4	0.01
118/6	0.01
55/3	0.04
योग . .	0.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन.—बिछिया हरदौट मार्ग में सुनार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 3 मई 2010

प्र. क्र. भू-अर्जन-09-430.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, निम्नानुसार भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—गुलाना
(ग) ग्राम—मकोड़ी
(घ) क्षेत्रफल —18.010 हेक्टर.

सर्वे क्र.	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हे. में)
(1)	(2)
1237	0.12
1238	0.09
1245	0.07
1257	0.30
1246/2	0.15
1247/2	0.14
1258	0.94
1259	0.22
1263	0.34
1260	1.09
1265	0.96
1266	0.06
1271	0.05
1272	0.03
1273	0.06
1274	0.79
1278	0.09
1279	0.27
1275	0.36
1282	0.26
1276	0.47
1277	0.68
1280/1	0.41
1280/2	0.41
1280/3	0.41
1281	0.56
1283	0.28
1294	0.18
1296	0.29
1295	0.23
1279/1	0.29
1298/1	0.03
1300/1	0.17
1299	0.20
1307	0.22
1304	0.20
1309	0.21
1322	0.30
1310	0.22
1312	0.40
1311	1.79
1321	0.70
1313	0.80
1314	0.62
1315	0.40
1320	1.15
योग . .	18.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—उमरसिंगी तालाब ग्राम मकोड़ी डूब क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 4 मई 2010

क्र. 881-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर
(ग) ग्राम—मझौली पटवारी हल्का नं. 43

(घ) क्षेत्रफल —13.40 हेक्टर.

अर्जित किये प्रस्तावित खसरा नं. (1)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकवा (हे. में) (2)
169/1	0.05
169/2	0.05
169/3	0.00
175/1/1	0.03
175/1/1क	0.02
175/1/1ख	0.01
175/1/1ग	0.02
175/1/2	0.10
175/2/1	0.09
175/2/2	0.03
175/3	0.12
175/4	0.10
175/5ख	0.08
176/3	0.05
176/4	0.05
176/5	0.09
176/6	0.06
176/7	0.09
177/1	0.36
177/2	0.17
179/1	0.00
179/2	0.00
179/3	0.05
182/1	0.10
182/2	0.10
182/3	0.00
542/1	0.01
542/2	0.01
543	0.07
544/1	0.05
544/2	0.05
544/3	0.05
544/4	0.05
545/1	0.01
545/2	0.01
545/3	0.01
545/4	0.01
545/5	0.01
545/6	0.01
545/7/1	0.01
545/7/2	0.01
545/7/3	0.00
550/1	0.03
550/2	0.03
550/3	0.02
550/4	0.02
550/5	0.02
555/1	0.00
555/2	0.01
555/3	0.00
555/4	0.01
556/1	0.05
556/2	0.03
556/3	0.04
557/1	0.10
558	0.05
559	0.08
560/1	0.05
560/2	0.05
561/1	0.10
561/2	0.02
562	0.12
563/1/1	0.07
563/1/2	0.07
563/1/3	0.06
563/2	0.20
563/3/1	0.09
563/3/2	0.05
563/3/3	0.09
563/4	0.24

(1)	(2)	(1)	(2)
563/5	0.25	843/1	0.11
771/1	0.10	843/2	0.11
771/2	0.10	844/1	0.06
773/1	0.02	844/2	0.19
773/2	0.02	845/1	0.04
774	0.01	845/2	0.02
776/1/1 जु.	0.02	845/3	0.02
776/1/1 जु.	0.02	846/1	0.08
776/1/2	0.04	846/2	0.08
776/2/1	0.04	847/2	0.02
776/2/2	0.05	847/3	0.04
784/1	0.08	852	0.13
784/2	0.02	853	0.10
791/1	0.03	854	0.04
791/2	0.01	855/1/1	0.04
824	0.02	855/1/2	0.04
828	0.07	855/2	0.04
829	0.10	856/1/1	0.04
830	0.11	856/1/2	0.04
832/1/1	0.03	856/2	0.05
832/1/2	0.03	858	0.16
832/2	0.02	859	0.16
833	0.20	863/1	0.10
834	0.07	863/2	0.10
835/1	0.06	864	0.16
835/2	0.17	867	0.12
836/1	0.17	868	0.14
836/2	0.08	869	0.17
837	0.29	870	0.11
838	0.19	871/1	0.08
839/1	0.10	871/2	0.07
839/2	0.09	871/3	0.03
840	0.20	873	0.22
841/1	0.09	874/1	0.07
841/2	0.09	874/2	0.03
842/1	0.11	875/1	0.03
842/2	0.06	875/2	0.04
		877	0.05

(1)	(2)
878	0.03
880	0.09
881	0.09
882/1	0.07
882/2	0.04
882/3	0.03
882/4	0.04
883/1	0.13
883/2	0.04
883/5	0.09
928	0.32
929	0.18
938/1/1	0.20
938/1/2	0.20
938/1/3	0.20
938/2/1	0.09
938/2/2	0.01
938/2/3	0.02
941/3	0.04
942	0.04
943	0.10
944	0.28
945	0.34
946/1	0.14
946/2	0.26
947	0.10
949/1	0.03
949/2	0.02
योग . .	13.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का कारण —म. प्र. जे. पी. मिनिरल्स लिमिटेड हेतु रेलवे साइडिंग के निर्माण के प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 4 मई 2010

क्र. 265-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किं नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—इन्दौर

(ग) नगर/ग्राम—जनकपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.070 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
415/1 पार्ट	0.070
योग . .	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग की नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनकपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 30-भू.अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—नैकिन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.547 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
2612	0.152
2613	0.182
2782	0.007
2876	0.008
2877	0.026
2884	0.198
2885	0.384
2886	0.057
2887	0.06
2888	0.082
2889	0.072
2890	0.021
2891	0.01
2892	0.047
2893	0.024
2894	0.025
2895	0.03
2896	0.004
2897	0.007
2898	0.022
2899	0.008
2933	0.044
2934	0.04
2935	0.449
2937	0.019
2938	0.036
2939	0.102
2940	0.003
2941	0.018
2943	0.147
2944	0.127
2945	0.02
2946	0.233
2947/1	0.31
2947/2	0.31
3031	0.003
3032	0.072
3034	0.1
3035	0.008
3036	0.003
3058	0.294
3060	0.03
3061	0.119
3066/1	0.2
3067	0.108
3068	0.012
3076	0.03
3077	0.082
3078	0.001
3341	0.001
3342	0.123
3343	0.076
3000	0.006
2932	0.02
2883	0.003
1826	0.03
1827	0.020
1828	0.02
1829	0.011
1936	0.07
योग . .	3.547

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 32-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—मझिगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.415 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1097	0.208
1098	0.048
1099	0.032
1100	0.127
योग . .	0.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 34-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—झांझ कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.083 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1981	0.226
1982	0.038
1983	0.003
1984	0.092
1985	0.036
1986	0.001
1987	0.001
2000	0.020
2001	0.044
2002	0.134
2003	0.143
2004	0.018
1970	0.001
1976	0.482
1978	0.256
2005	0.113
2006/1	0.12
2006/2	0.11
2009	0.062
2287	0.007
2007/1	0.074
2007/2/1	0.055
2007/2/2	0.055
2018	0.070
2019	0.102
2020	0.004
2203	0.014
2204	0.614
2205	0.037
2261	0.039
2264	0.024
2285	0.213
2286	0.148
1980	0.001
2009	0.048
2010	0.008
2295/1	0.035
2296/1	0.054
2297	0.001
2306	0.004
2307/1	0.170
2308/1	0.050
2315	0.099
2316	0.074
2317	0.023
2318	0.006

(1)	(2)
2319	0.177
2320	0.038
2265	0.001
3566/1	0.184
3566/2	0.294
3566/3	0.144
3567	0.095
3570	0.094
3571	0.101
3572	0.02
3573	0.081
3629	0.028
3630	0.130
3641	0.009
3642	0.032
3644/1	0.040
3645	0.054
3649	0.012
3663	0.006
3664	0.010
3682	0.008
2309/1	0.001
3683	0.010
3684	0.040
3685	0.014
3686	0.110
3691	0.020
3692	0.046
3694	0.102
3695	0.299
3696	0.029
3697	0.144
3698	0.022
3699	0.173
3700	0.019
3701	0.016
3703	0.192
3704	0.160
3705	0.220
3706	0.030
3709	0.23
3716/1	0.065
3716/2	0.065
3712	0.02
2293	0.026
3715	0.180
2294	0.011
3643	0.04
3720	0.073
3723	0.092
3724	0.24
3725	0.130
3768	0.062
3506	0.147
3514	0.038
3516	0.105
3621	0.001
3622/1	0.003
3623/1	0.172
3631	0.037
3646	0.010
3647	0.019
3648	0.052
3661/1	0.019
3665	0.036
3667	0.068
3668	0.020
3669	0.090
3670	0.020
3671	0.042
3672	0.004
3681	0.187
3687	0.040
3688	0.040
3689	0.040
3690	0.026
3693	0.040
3707	0.061
3708	0.078
3713	0.003
3721	0.001
3726	0.009
3727	0.001
3754	0.002
3767	0.006
योग . .	9.083

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 36-भू.अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—रायखोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.139 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
18	0.032
25	0.088
26	0.192
27	0.302
28	0.08
29	0.096
31	0.102
32	0.032
33	0.681
34	0.168
35	0.011
36	0.841
39	0.096
40	0.371
43	0.36
45	0.873
46	0.07
47	0.05
48	0.352
49	0.063
50	0.534
51/1	0.06
51/2	0.033
52/1	0.463
54/1	0.45
54/2	0.461
54/3	0.35
54/4	0.027
241	0.064
242/1	0.088
242/2	0.088
244/1	0.053
244/2	0.053
244/4	0.053
246/1	0.177
246/2	0.326
247	0.352
255	0.008
1640	0.288
1642	0.06
1658	0.528
1660	0.129
1661	0.043
38	0.032
44	0.056
53/1	0.036
53/2	0.037
53/3	0.037
53/4	0.036
256	0.004
87	0.326
243/1	0.103
243/2	0.103
1662	0.008
1663	0.024
52/2	0.057
41	0.072
1641	0.02
योग . .	9.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 38-भू.अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम—कोदईडांड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.594 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
13	0.011
21	0.216
23	0.056
26	0.056
27	0.025
31/2	0.25
32/1	0.109
34	0.328
35	0.585
59	0.232
62	0.246
65	0.80
67	0.009
68/1	0.008
33	0.004
64	0.003
71	0.03
74	0.02
75	0.032
78	0.022
90	0.432
79/1	0.125
79/2	0.16
79/3	0.123
80	0.312
81	0.424
87	0.04
89	0.104
योग . .	3.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 40-भू.अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम—आमडांड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.241 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
179	0.050
204	0.030
206	0.040
207	0.080
635	0.041
योग . .	0.241

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 42-भू.अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम—बघवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.273 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
1728	0.083
1729	0.022
1731	0.468
1732	0.029

(1)	(2)
1733	0.028
1734	0.058
1747	0.09
1769	0.006
1772	0.252
1773	0.329
1775	0.045
1776	0.117
1777	0.014
1778	0.003
1779	0.016
1781	0.009
1782	0.196
1787	0.012
1788	0.04
1789	0.05
1790	0.021
1791	0.23
1792	0.06
1793	0.321
1794	0.001
1799	0.024
1780	0.117
1835	0.053
1836	0.002
योग . .	2.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 44-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—मउ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.334 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
965	0.025
976/2	0.07
977	0.09
980	0.02
981	0.012
982	0.050
983	0.264
984	0.022
985	0.004
986	0.100
987	0.08
988	0.11
989	0.220
990	0.03
1019	0.19
991	0.075
1020	0.081
1021	0.07
1022	0.050
2030	0.08
2031	0.34
2032	0.364
2033	0.08
2034	0.132
2035	0.051
2036	0.28
2109	0.004
2110	0.07
2252	0.27
2253	0.06
2254	0.05
2028	0.424
2255	0.382
2258	0.103
2259	0.040
2269/1	0.050
2270	0.062
2271/1	0.060
2272	0.143
2285	0.05
2286	0.11

(1)	(2)
2287	0.1
2284	0.064
2288	0.26
2294	0.040
2295	0.035
2297	0.28
2298	0.062
2313	0.09
2314	0.11
2315/2639	0.120
2320	0.425
2321	0.204
2322	0.08
2323	0.070
2332	0.105
2292	0.030
2317	0.02
2333	0.050
2334	0.12
2335	0.190
2341	0.084
2342	0.272
2398	0.062
2399	0.10
2405	0.014
2406	0.353
2407	0.040
2421	0.01
2422	0.071
2423	0.091
2424	0.14
2426	0.02
2427	0.282
2428	0.07
2429	0.040
2430	0.002
2431	0.032
2438	0.231
2442	0.07
2443	0.19
2441	0.01
2444	0.05
2446	0.024
2293/1	0.05
2293/2	0.05
2344/1	0.006
2344/2	0.070
2344/3	0.113
2344/4	0.035
2266	0.032
2267	0.002
2325	0.002
2276	0.005
योग . .	6.334

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 46-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—मझियार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.395 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
33	0.003
34	0.008
35	0.161
36	0.112
58	0.02
59	0.365
60	0.024
61	0.086
63	0.062
64	0.001

(1)	(2)
65	0.034
74	0.238
76	0.052
172	0.003
173	0.068
174	0.109
175	0.067
योग . .	1.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 48-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—भमदर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.357 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1947	0.005
1954	0.128
1955	0.045
1956	0.08
1962	0.237
1963	0.211
1965	0.136
1966	0.105
1967	0.032
2013	0.064
2014	0.065
2016/1	0.10
2016/2	0.064
2017	0.486
2019/1	0.118
2020/1	0.049
2021	0.033
2022	0.052
2051	0.134
2053	0.083
2078	0.76
2105	0.036
2114	0.137
2115	0.083
2116	0.11
2117	0.03
2122	0.155
2123	0.206
2125	0.014
2128	0.275
2129	0.084
2130	0.056
2131	0.16
2132	0.051
2133	0.025
2135	0.011
1958	0.026
2012	0.001
2136	0.001
2197	0.025
योग . .	3.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 50-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके

द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—झांझ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.813 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1774	0.001
1776/2	0.01
1780/2	0.024
1781	0.048
1782/1	0.030
1782/2	0.020
1782/3	0.070
1782/4	0.060
1785	0.414
1792	0.088
1793	0.125
1802	0.012
1803/2	0.292
1804	0.038
1805	0.028
1806	0.012
1818	0.009
1829	0.051
1831/1	0.001
1831/2	0.001
1835/1	0.077
1835/2	0.077
1783	0.042
1800	0.134
1820	0.007
1830	0.057
1812	0.094
योग . .	1.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 52-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—रघुनाथपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.141 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
126	0.034
130	0.139
131	0.030
133	0.198
137	0.022
138	0.012
139	0.080
140	0.16
148	0.048
149	0.014
150	0.026
151	0.074
152	0.06
153	0.062
252	0.069
253	0.051
265	0.006
266	0.08
267	0.048
268	0.016
270	0.006
271	0.028
280	0.337
281	0.13
282	0.069
283	0.037
290	0.11
291	0.036
293	0.048
294	0.001

(1)	(2)
410/1	0.001
414	0.038
415	0.123
417	0.14
418	0.064
419	0.004
421	0.022
422	0.059
423	0.06
424	0.070
425	0.032
426	0.004
471	0.067
472	0.027
473	0.1
474	0.040
475	0.008
476	0.022
483	0.254
1062	0.076
1073	0.421
1074	0.034
416/1374	0.001
480	0.05
481	0.203
योग . .	3.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 54-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—पटेहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.734 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7/1	0.131
7/2	0.131
7/3	0.130
31	0.128
37	0.064
38	0.08
39	0.152
191	0.032
192	0.40
193	0.152
739	0.134
740	0.032
741	0.038
742	0.008
743	0.046
744	0.048
745	0.10
749	0.028
750	0.024
751	0.096
752	0.044
753	0.030
754	0.076
755	0.011
757	0.04
758	0.08
759	0.057
765	0.32
770	0.392
826	0.024
831	0.088
832	0.184
833	0.040
867	0.033
868	0.051
864/1488	0.072
872	0.232
873	0.089
874	0.110
875	0.168
884	0.144
885	0.336

(1)	(2)
911	0.211
912	0.064
913	0.015
916	0.632
917	0.02
918	0.141
920	0.048
921	0.416
922	0.064
923	0.320
924	0.256
932	0.056
933	1.01
23/1	0.04
23/2	0.104
23/3	0.16
23/4	0.18
23/5	0.18
20/1	0.023
20/2	0.023
29/1	0.002
8/1	0.01
8/2	0.009
41	0.12
202	0.008
203	0.096
204	0.08
205	0.006
206	0.001
217	0.016
218	0.051
220	0.03
247	0.003
246	0.008
756	0.004
827	0.027
865	0.117
866	0.112
861	0.061
योग . .	6.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 56-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम—पडखुरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.522 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1000	0.150
1001	0.136
1002	0.246
1004	0.051
1062	0.1
1056	0.11
1051	0.079
1052	0.04
1053	0.028
1054	0.03
1048	0.08
1049	0.115
1050	0.096
1106	0.245
1107	0.07
1108	0.08
1969	0.05
1970	0.04
1971	0.04
1972	0.05
2003	0.42
2021	0.14
2023	0.14
2024/1	0.045
2024/2	0.045
2038	0.06
2365	0.025
2366	0.16
2368	0.08
2301	0.074

(1)	(2)
2302	0.26
2278	0.6
2315	0.15
2271	0.02
2270	0.24
2266	0.19
2267	0.07
1055	0.08
1047	0.004
1105	0.059
1983	0.008
1982	0.011
1980	0.06
1979	0.06
1973	0.024
1974	0.029
1975	0.013
1978	0.001
1962	0.02
1968	0.12
1966	0.062
1965	0.15
1964	0.029
1963	0.24
2109	0.005
2001	0.009
1960	0.001
2002	0.339
2004	0.173
1997	0.009
2022	0.12
2025	0.106
2026	0.056
2027	0.008
2040	2.338
2039	0.192
2039/2598	0.125
2364	0.014
2363	0.003
2369	0.009
2370	0.017
2357	0.152
2356	0.024
2303	0.005
2280	0.017
2278/2599	0.040
2313	0.005
2314	0.176
2316	0.115
2372	0.136
2319	0.019
2269	0.030
2268	0.072
2264	0.128
1288	0.056
1953	0.048
1993	0.176
योग . .	6.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 58-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—गोपालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.026 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
5	0.075
6	0.060
9	0.053
11	0.024
12	0.186
14	0.116
19	0.006
20	0.001

(1)	(2)
37	0.001
91	0.020
15	0.035
16	0.08
18	0.19
21	0.20
22	0.102
23	0.088
24	0.020
30	0.012
31	0.051
32	0.020
33	0.084
96	0.005
97	0.003
99	0.005
103	0.19
34	0.050
35	0.040
36	0.02
86	0.268
87	0.030
88	0.034
89	0.05
92	0.085
94	0.041
171	0.14
184	0.075
95	0.027
100	0.312
101	0.08
169	0.032
170	0.107
185	0.665
13	0.150
8	0.048
योग . .	3.026

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 60-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—कुडिया कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.048 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
182	0.048
योग . .	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 62-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—मुर्तलापवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.255 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
3/1	0.108
3/2	0.249
6	0.064

(1)	(2)
7	0.875
8	0.232
9	0.115
12	0.101
61	0.117
14	0.024
105	0.007
106	0.085
108	0.02
109	0.148
62	0.094
63	0.232
122	0.110
123	0.457
135	0.032
136	0.065
137	0.208
139	0.259
141/1	0.160
141/2	0.156
142	0.264
143	0.058
65	0.01
107	0.032
योग . .	4.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 64-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—कुडिया पवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.422 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
936	0.176
937	0.246
योग . .	0.422

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 66-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम—झलवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.117 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
203	0.032
204	0.219
205	0.190
212	0.016
213	0.104
214	0.093
215	0.16
216	0.144
217/1/1	0.07
217/1/2	0.06

(1)	(2)
222	0.110
296	0.080
299	0.02
314	0.034
317	0.36
322	0.225
323	0.096
324	0.204
325	0.098
326	0.189
331	0.125
451	0.016
452	0.096
453	0.153
455	0.078
459	0.125
460	0.052
469	0.518
470	0.019
552	0.051
553	0.065
555	0.08
556/1	0.01
556/2	0.44
557	0.057
571	0.024
572	0.064
573	0.006
574	0.342
577	0.235
578	0.089
579	0.227
603	0.119
607	0.302
608	0.187
609	0.040
611	0.33
612	0.040
613	0.300
614	0.030
615	0.020
616	0.12
798	0.049
799	0.045
800	0.03
801	0.396
808	0.164
809	0.031
820	0.102
821	0.072
822	0.096
807	0.005
187	0.096
458	0.057
548	0.002
551	0.015
554	0.100
606	0.004
330	0.002
295	0.184
292	0.176
290	0.007
316	0.096
315	0.036
योग . .	7.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 2105-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर—कदवालिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.91 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
6	0.77 में से	0.68
7	0.32 में से	0.06
8/1	0.32 में से	0.05
8/2	1.90 में से	0.88
11	0.89 में से	0.28
41	0.56 में से	0.31
44	1.11 में से	0.27
47	0.69 में से	0.11
48	0.54 में से	0.20
191	2.10 में से	0.70
192	0.46 में से	0.40
195	1.46 में से	0.60
196	1.65 में से	0.03
248	0.42 में से	0.35
260	0.75 में से	0.26
261	0.38 में से	0.20
260/516	1.04 में से	0.24
263	0.11 में से	0.06
264	0.96 में से	0.30
283	0.36 में से	0.02
284	0.40 में से	0.20
274	2.24 में से	0.27
285	0.33 में से	0.10
286/1	0.17 में से	0.04
286/2	0.17 में से	0.06
507	1.55 में से	0.40
509	1.05 में से	0.30
523	0.55 में से	0.15
524	0.15 में से	0.06
526	1.09 में से	0.33
	24.49 में से	7.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2112-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर—आगलगोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.44 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
17	0.21 में से	0.01
18	0.17 में से	0.11
19	0.99 में से	0.14
21	0.28 में से	0.05
23	0.28 में से	0.24
24	0.40 में से	0.17

(1)	(2)	(3)
34	0.24 में से	0.06
33	0.78 में से	0.36
32	1.54 में से	0.30
	4.89 में से	1.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2115-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर

(ख) तहसील—अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर—मोरधी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.35 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
3	0.80 में से	0.04
4	0.48 में से	0.20
13	0.24 में से	0.14
31/1	0.64 में से	0.26
31/2	0.50 में से	0.05
32	0.22 में से	0.02
38/1	0.66 में से	0.07
38/2	1.14 में से	0.23
38/3	0.18 में से	0.05
54	1.05 में से	0.44
56/1	0.70 में से	0.36
56/2	0.64 में से	0.38
64	0.54 में से	0.01
103	1.16 में से	0.46
104	0.98 में से	0.02
106	0.42 में से	0.02
107	0.53 में से	0.18
109	1.68 में से	0.66
110/3	0.45 में से	0.16
158/1	0.64 में से	0.04
158/3	0.07 में से	0.06
158/4	0.13 में से	0.13
159	0.48 में से	0.28
160/1	0.13 में से	0.12
160/2	0.17 में से	0.01
162	2.40 में से	0.05
184/1	0.46 में से	0.08
184/2	0.57 में से	0.38
326	4.87 में से	0.20
328	0.67 में से	0.30
329	1.10 में से	0.22
334	1.66 में से	0.40
339	1.67 में से	0.45
340	1.05 में से	0.10
341	2.14 में से	0.40
342	1.25 में से	0.15
347	1.08 में से	0.29
343	0.42 में से	0.10
349	0.48 में से	0.15
350	0.80 में से	0.36
356	0.56 में से	0.03
357	0.26 में से	0.08
358	0.48 में से	0.14
360	0.20 में से	0.05
361	0.16 में से	0.09
362	0.25 में से	0.19
914	0.26 में से	0.12
950	1.65 में से	0.30
956	1.09 में से	0.30
359	0.30 में से	0.02
363	0.41 में से	0.01
	40.87 में से	9.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2118-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर—अम्बारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.65 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
248	1.10 में से	0.01
249	0.67 में से	0.40
250	1.16 में से	0.47
254	1.17 में से	0.28
255	3.45 में से	0.48
299	3.48 में से	0.34
302	3.84 में से	0.11
301	3.57 में से	1.05
330	0.45 में से	0.05
289	0.79 में से	0.46
	19.68 में से	3.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2121-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर—रिछवी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.61 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
2	0.38 में से	0.07
3	0.12 में से	0.08
5	0.27 में से	0.15
14/1	0.53 में से	0.23
14/2	0.30 में से	0.24
15/2	0.76 में से	0.08
22/2	0.23 में से	0.06
25	1.40 में से	0.43
55	0.62 में से	0.35
54	1.64 में से	0.69
43	1.28 में से	0.20
51	0.38 में से	0.20
47	2.75 में से	0.38
48	0.59 में से	0.17
50	0.83 में से	0.27
611	0.91 में से	0.33
612	0.53 में से	0.19
613	0.37 में से	0.14
601	0.60 में से	0.10
603	0.41 में से	0.20
604	3.08 में से	0.29
605	0.98 में से	0.80
600	7.72 में से	1.25
832	1.10 में से	0.69
831	0.97 में से	0.69
830	1.11 में से	0.78
842	0.32 में से	0.10
841	1.46 में से	0.20
834	0.56 में से	0.20
828/1	0.80 में से	0.63
828/2	0.37 में से	0.30
827	0.76 में से	0.65

(1)	(2)	(3)
829	0.52 में से	0.33
826	1.20 में से	0.23
769	0.53 में से	0.36
768	1.87 में से	1.10
772	1.78 में से	0.25
765/1	1.05 में से	0.72
687	1.20 में से	0.30
681	1.80 में से	0.19
710	2.10 में से	0.44
713	0.62 में से	0.30
771/1	1.76 में से	0.25
	48.56 में से	15.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2124-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर—भयडिया की चौकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.80 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
348	1.38 में से	0.43
340	4.58 में से	0.55
341	0.57 में से	0.13
337	1.60 में से	0.54
330	1.01 में से	0.68
324	0.10 में से	0.05
489	0.72 में से	0.43
488	0.45 में से	0.43
492	1.32 में से	0.68
484	1.07 में से	0.34
930	1.51 में से	0.26
901	1.22 में से	0.66
902	0.12 में से	0.09
932	1.05 में से	0.33
933	0.05 में से	0.05
924	0.69 में से	0.06
925	0.80 में से	0.09
926	1.03 में से	0.56
964	0.65 में से	0.03
965	0.54 में से	0.41
	20.46 में से	6.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2106-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 07-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर—चिचलगुड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.72 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
41	0.24 में से	0.05
42	0.20 में से	0.15

(1)	(2)	(3)
43	0.70 में से	0.14
46	0.67 में से	0.35
45	0.61 में से	0.01
47	0.57 में से	0.25
48	0.47 में से	0.16
49	0.79 में से	0.32
50	0.92 में से	0.12
58	0.98 में से	0.38
136	1.94 में से	0.63
137	0.17 में से	0.06
133	0.38 में से	0.14
132	0.44 में से	0.24
148/2	0.21 में से	0.05
131	0.37 में से	0.03
149/2	0.47 में से	0.22
150/1	1.01 में से	0.32
150/2	0.22 में से	0.12
152	0.56 में से	0.29
154/1	0.49 में से	0.15
154/2	0.45 में से	0.10
162	1.05 में से	0.36
164	0.54 में से	0.38
160	1.89 में से	0.50
163	0.46 में से	0.35
187	0.87 में से	0.24
189	1.36 में से	1.00
190	0.90 में से	0.24
196	0.93 में से	0.55
195	0.99 में से	0.30
197	1.53 में से	0.97
199	1.65 में से	0.82
194	2.46 में से	0.32
381	0.83 में से	0.26
380	1.81 में से	0.63
387	1.20 में से	0.65
388	1.18 में से	0.64
389	1.10 में से	0.60
391	0.70 में से	0.45
392	0.80 में से	0.26
396	1.22 में से	0.14
420	0.80 में से	0.07
412	0.30 में से	0.18
411	1.33 में से	0.55
432	1.89 में से	1.13
434	2.33 में से	0.48
435/1	0.49 में से	0.05
436/2	0.38 में से	0.32
	43.85 में से	16.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2109-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त तप्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर

(ख) तहसील—अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर—थाना सेमली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.31 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा,
(1)	(2)	(3)
329	0.95 में से	0.30
331	0.62 में से	0.13
332/2	0.37 में से	0.01
315	0.20 में से	0.01
316	0.25 में से	0.10
321	0.36 में से	0.05
323	1.35 में से	0.36
325	0.60 में से	0.30
326	0.47 में से	0.01
377/2	0.31 में से	0.04
	5.48 में से	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण 'अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.